झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2019

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछडा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु आरक्षण प्रावधानित करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019
(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक, 2019

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**

(1) यह अधिनियम "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2019" कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य मे होगा।

(3) राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह अधिनियम तत्काल प्रभावी होगा किन्तु जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो तिथि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा नियत करे।

2. "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 1 (1) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित होगी:-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(च) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(च) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।

4. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(झ) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(झ) "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसे निम्न् रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा-

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	-	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	-	60 प्रतिशत

4(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी:-

(क)	अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	-	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	-	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)	-	10 प्रतिशत
	कुल	-	**60 प्रतिशत**

4(2)(क) सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगाः-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक-49) की धारा-34(1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांग-जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए - 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।

6. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, परन्तु ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किंया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

यह विधेयक झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 25 जुलाई, 2019 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 25 जुलाई, 2019 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 36—50—5-8-2019